प्रैस विज्ञप्ति

शिमला 04 जून 2014 उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश

मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी के निर्णयानुसार उन सभी अध्यापक, अभिभावक संघ (पी0टी0ए0) द्वारा उपलब्ध अध्यापकों, जिनकी सेवाएं विभाग द्वारा 19 अप्रैल 2008 और 27 मई 2008 की अधिसूचना द्वारा गठित जॉच कमेटियों की अनुशंसा पर समाप्त कर दी गई थी, को अध्यक्ष जॉच कमेटी के समक्ष एक बार फिर से अपील करने का अवसर प्रदान किया गया है।

अतः सभी सम्बन्धित अध्यापक अपने पूर्ण दस्तावेजों और नई जानकारियों सहित सक्षम अधिकारी अर्थात अध्यक्ष जॉच कमेटी/अपील प्राधिकारी (कॉलेज स्तर के लिए उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी और वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च पाठशाला के लिए अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/उपमण्डल अधिकारी) के समक्ष पुनर्विचार के लिए 23 जून 2014 तक अपील कर सकते हैं।

(शशि भूषण सेखरी)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठाकंन संख्या शिक्षा–उ0शि0(21)01/2014 प्रैस विज्ञप्ति दिनांकः 04 जून, 2014

1 प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 के पत्र संख्या ई.डी.एनण–ए–बी(6)8/2005–XI-L दिनांक 24 मई, 2014 के संदर्भ में/
2 निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन, हिमाचल प्रदेश, शिमला–3।
3 संम्पादक, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी, हिन्दुस्तान टाईमज, द ट्रिब्यून, दैनिक जागरण।
4 रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश